

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प ग्राम पंचायत 2 एम.एल.
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :- यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :- राजस्व वाद संख्या :- 32/2016



A8
7

1. सरकार जरीये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

—:: बनाम ::—

1. श्री औमप्रकाश पुत्र आसाराम जाति जाट साकिन 8 जैड श्रीगंगानगर।

— — प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. परौकार राज | वादी |
| 2. श्री मोहनलाल माहर अधिवक्ता | प्रतिवादी संख्या 1 |

— :: निर्णय ::—

दिनांक :- 23.05.2017

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. का वाद प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत प्रतिवादी के नाम चक 8 जैड के मुरब्बा नम्बर 39 के कुल रकबा 0.506 हैक्टर नहरी रकबा खातेदार के नाम से कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है।

उक्त खातेदारी भूमि चक 9 जैड के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 23/253 हैक्टर नहरी रकबा का उपयोग कृषि कार्य में न होकर मौके पर सडके, आवासीय मकान एवम् प्लाट काटकर अकृषि कार्य में किया जा रहा है।

उक्त आराजी काबिले काश्त है, केवल मात्र कृषि कार्य के लिये दी गई है इसे बिना सक्षम अधिकारी से सम्परिवर्तन कराये/स्वीकृति प्राप्त किये अकृषि कार्य में उपयोग किया जा रहा है। सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अकृषि उपयोग में लेना गैर कानूनी है।

चक 8 जैड के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 23/.253 हैक्टर नहरी रकबा मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का रामनगर अनुसार बिना स्वीकृति/सम्परिवर्तन कराये अकृषि उपयोग में किया जा रहा है।

वाद पत्र के साथ में तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ने अपना शपथपत्र, सम्बन्धित पटवारी हल्का की रिपोर्ट, खसरा गिरदावरी एवं जमाबन्दी की प्रति सलंगन की है।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ नोटिस सूचित किया गया। विधिवत तामिल नहीं होने पर प्रतिवादी की तलबी स्थानिय समाचार पत्र के माध्यम से करवाई गई

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

लगातार 2

प्रतिवादी की और से श्री मोहनलाल माहर अधिवक्ता उपस्थित आये परन्तु उनके द्वारा अपना वकालतनामा पेश नहीं किया। प्रतिवादी द्वारा जबाब पेश नहीं किये जानें के कारण जबाब बन्द किया गया।

दिनांक 25.04.2017 को पटवारी हल्का रामनगर द्वारा वाद में वर्णित भूमि की मौका रिपोर्ट पेश की गई जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि चक 8 जैड के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 23/.253 औमप्रकाश पुत्र आशाराम जाति जाट साकिन देह खातेदार दर्ज है उक्त नहरी कृषि भूमि पर मौके पर अकृषि उपयोग हो रहा है, इसमें कालोनी बसी हुई है।

—:: आदेश ::—

पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वाद वादी पोषणीय पाये जानें पर स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत चक 8 जैड के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 23/.253 हैक्टर भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहण कर बहक सरकार (सिवाय चक) घोषित की जाती है।

अतः उक्त अधिग्रहण शुदा भूमि के सम्बंध में तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है, कि वे उक्त भूमि को अपने कब्जा में लेकर राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज करना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो

आदेश आज दिनांक 23.05.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत दो एम.एल. में मजमे आम सुनाया गया।




(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
पदेन सहायक कलेक्टर
श्रीगंगानगर